

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 2/3/17

संचिका सं०-17/डी०-1-02/2016..... 133 (17)...../पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना के विभिन्न विभागों के शैक्षणिक पदों यथा प्राध्यापक/रीडर/व्याख्याता/ट्यूटर के रिक्त पदों पर चयन समिति द्वारा तैयार पैनल से अनुशंसा के आलोक में मानदेय के आधार पर निम्न प्रकार (संविदा) नियुक्त किया जाता है :-

प्राध्यापक : (संविदा)

क्रमांक	दंत चिकित्सक का नाम	विभाग	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1	डा० रणधीर कुमार	पेरियोडॉसिया	सामान्य	पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

रीडर : (संविदा)

क्रमांक	दंत चिकित्सक का नाम	विभाग	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1	डा० अंजू बंसल	पिडोडॉसिया	सामान्य	पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

व्याख्याता : (संविदा)

क्रमांक	दंत चिकित्सक का नाम	विभाग	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1	डा० शारिब अब्दुल सलाम	पेरियोडॉटिक्स	सामान्य	पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
2	डा० शशांक सौरव	कंजर्वेटिव डेन्टीस्ट्री	अ०पि०वर्ग	पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

ट्यूटर : (संविदा)

क्रमांक	दंत चिकित्सक का नाम	विभाग	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1	डा० आभास कुमार	ओरल सर्जरी	सामान्य	पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
2	डा० प्रियंका प्रियदर्शनी	प्रोस्थोडॉटिक्स	सामान्य	पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

3	डा० जेयाउर रहमान	—	अ०पि०वर्ग	पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
4	डा० आलोक कुमार	—	अ०पि०वर्ग	पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
5	डा० रविन्द्र कुमार प्रसाद	—	अनुसूचित जाति	पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

2. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन की जा रही है :-

(क) संविदा के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति, नियुक्ति की तिथि से 1(एक) वर्ष या उन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिये अनुमान्य होगी।


(ख) मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तब तक संविदा/मानदेय के आधार पर अनुबंधित दंत चिकित्सक शिक्षकों को समेकित एक मुश्त संविदा/मानदेय राशि निम्न प्रकार देय होगा :-

(i) प्राध्यापक -36,000/- रीडर-33,000/- व्याख्याता -31,000/-रु० प्रतिमाह एवं ट्यूटर - 28,000/रु० प्रतिमाह।

(ग) संविदा अनुबंधित दंत चिकित्सक शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा, उन्हें किसी प्रकार का प्रशासनिक अथवा वित्तीय अधिकार नहीं दिया जायेगा तथा वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

(घ) संविदा/मानदेय के आधार पर अनुबंधित दंत चिकित्सक शिक्षकों की सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर दो माह पूर्व सूचना अथवा दो माह की मानदेय राशि देकर समाप्त की जा सकती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


2.3.17
(प्रदीप कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-17/डी-01-02/2016 - 133 (17)

पटना, दिनांक- 2/3/17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०एवंह०) विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०)विभाग,


बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी दंत चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ प्रेषित। यह अधिसूचना विभागीय वेबसाइट www.health.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैन्जोर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


2.3.17
सरकार के अपर सचिव
Wider